हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

पंचम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 34

शुक्रवार, 16 फरवरी, 2024/27 माघ, 1945(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1029(स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 1303, 1304 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1305 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1306 से 1309 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1310 से 1335 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 316(स्थगित) तथा 561 से 567 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2023-2024 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

Observations by the Speaker

"Some newspapers have published that this is an issue which comes under Rule-67. The correspondents of the newspapers should be very cautious about it, what they are reporting or what they are not reporting. This issue comes under Rule-62 and not under Rule-67."

श्री रणधीर शर्मा, सदस्य ने "**अलीखड्ड पानी विवाद को लेकर चल रहे आन्दोलन**" से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय उद्योग मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय उद्योग मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री रणधीर शर्मा, सदस्य ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय उद्योग मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

श्री रणधीर शर्मा, सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान श्री संजय अवस्थी, मुख्य संसदीय सचिव के बारे में टिप्पणी करने पर अध्यक्ष महोदय ने ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकालने के आदेश दिए।

(माननीय उद्योग मंत्री के उत्तर से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए विरोधस्वरूप माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने सदन से 12.35 बजे अपराह्न बहिर्गमन किया। तत्पश्चात माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती के अलावा सभी विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी सदन से बहिर्गमन किया।)

4. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2023-2024 पर सामान्य चर्चा, मतदान एवं पारणः-

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त आर्डर पेपर के कॉलम नम्बर-3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल- प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार।

मांगें पूर्ण रूप से पारित हुईं।

5. विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 1) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि " हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 1)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 1)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

"हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 1)" पारित हुआ।

6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आज ही माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिया जाना है इसलिए सभी सदस्यगण यदि 4.00 बजे अपराह्न तक अपनी चर्चा समाप्त कर लें तो 5.00 बजे अपराह्न तक मुख्य मंत्री जी का उत्तर पूरा हो जाएगा। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस हेतु सभी सदस्यगणों से उनकी राय ले ली जाए।

निम्नलिखित ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, मुख्य संसदीय सचिव

(1.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 2.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

आगे चर्चा जारी –

2. श्री सतपाल सिंह सत्ती

(02.13 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

3. श्री आशीष बुटेल, मुख्य संसदीय सचिव
4. श्री बिक्रम सिंह

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान बल्क ड्रग पार्क तथा मैडिकल डिवाइस पार्क के बारे में टिप्पणी करने पर माननीय मुख्य मंत्री ने इनकी वास्तविक वस्तुस्थिति से सदन को अवगत करवाया।

5. श्री केवल सिंह पठानिया
6. श्री पवन कुमार काजल
7. श्री राजेन्द्र राणा
8. श्री रणधीर शर्मा

(04.35 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान टिप्पणी करने पर कि नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने स्वारघाट की आई.टी.आई. के भवन का सिर्फ बेसमैंट तैयार होने पर ही उद्घाटन कर दिया, पर माननीय मंत्री ने वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि वह आई.टी.आई. किराये के भवन में चल रही थी और चूंकि अब इसका बेसमैंट व ग्राउंड फ्लोर भी तैयार हो गया है और उसमें पर्याप्त अकॉमोडेशन है इसलिए उसका उद्घाटन कर दिया गया।

9. श्री संजय अवस्थी, मुख्य संसदीय सचिव

(5.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 07.00 बजे सायं तक बढ़ाया गया।)

10. श्रीमती रीना कश्यप

11. श्री नीरज नैय्यर
12. श्री प्रकाश राणा
13. श्री चैतन्य शर्मा
14. श्री जीत राम कटवाल

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना शुरू किया।

(माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर के बीच में ही सदन की बैठक सायं 7.00 बजे से सायं 7.30 बजे तक बढ़ाई गई।)

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिए जा रहे उत्तर पर विपक्ष के सदस्यगणों ने असंतुष्टि व्यक्त करते हुए अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। माननीय अध्यक्ष ने विपक्ष के सदस्यगणों को अपने-अपने स्थान पर बैठने हेतु बार-बार आग्रह किया परन्तु विपक्ष की ओर से लगातार नारेबाजी व शोरगुल होता रहा। अन्ततः सायं 7.10 बजे विपक्ष द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा पर अपना उत्तर पूरा किया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए -

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, माननीय राज्यपाल महोदय का, दिनांक 14 फरवरी, 2024 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ।

07.20 बजे सायं सदन की बैठक शनिवार 17 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।